न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 136/2020 वाद
GCMS No. – 2020/00313

1. देवीलाल पिता लामचंद जाति धाकड़ निवासी सरवानिया तह० जावद जिला नीमच म०प्र० ।

–वादी

बनाम

1. शंकर पिता नन्दा जी जाति धाकड निवासी सरवानिया तह० जावद जिला नीमच म०प्र० ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 08.04.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा कैली पटवार हल्का कैली तहसील निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 672 की, आराजी नंम्बर 2216 रकबा 0.8900 हैक्टेयर , आराजी नंम्बर 2273 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नं० 2274 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, आराजी नं० 2470 रकबा 1.1400 हैक्टेयर, आराजी नं० 2473 रकबा 0.9500 हैक्टेयर स्थित हैं। साक्ष्य मे नकल जमाबंदी पेश हैं।

2. वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी नं० 2216, 2273 2274 ,2473 , 2470 में वादी का 3/4 तथा प्रतिवादी नंम्बर 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नं० 1 अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन वादी व प्रतिवादी नं० 1 के मध्य विवाद होता रहता है इसलिए वादी ने प्रतिवादी नं० 1 को वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कराने हेतु प्रतिवादी नं० 1 को क[illegible]वादी नम्बर 1 टाल चाल कर रहा है, तथा बटवाडा कराने से इंकार [illegible] आराजियात का बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स किया जाकर वा[illegible] तथा प्रतिवादी नंम्बर 1 का 1/4 हक हिस्से अनुसार अलग [illegible] नं० 1 का आराजी न[illegible] में 1/4 का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज किय[illegible]वें, तथा इसी अनुसार [illegible]रेकार्ड व राजस्व जमाबंदी में अलग दर्ज कराने का वादी अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:20:34 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचना पत्र तलब किया गया, बावजूद वाद तामिल वकील मय प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे, इसलिए

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी नम्बर 2 प्रकरण में अपना जवाब पेश नहीं करना चाहते है अतः प्रतिवादी नम्बर 2 का जवाब बन्द किया गया।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। प्रकरण में साक्ष्य एवं बहस के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनांक 20.09.2023 को तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया गया कि मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नं० 2216, 2273 2274, 2473,2470 में वादी का 3/4 तथा प्रतिवादी नंम्बर 1 का 1/4 हक भूमि का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवारा किया जावें। वादी एवं प्रतिवादी का हक हिस्सा अलग–अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें। पंहुच मार्ग सुनिश्चित करे। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/494 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैः–

1 श्री देवीलाल पुत्र लाभचन्द धाकड निवासी सरवानिया खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
2216	0.89	8.46
2273	0.01	गै0मु0चाह
2274	0.76	9.12
2473	0.95	11.40
2470/1	0.20	2.40
किता–5	2.81	31.38

2 श्री शंकरलाल पुत्र नन्दा धाकड निवासी सरवानिया खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
2470/2	0.94	11.28
किता–1	0.94	11.28

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:20:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 136/2020 वाद
GCMS No. – 2020/00313

1. देवीलाल पिता लाभचंद जाति धाकड़ निवासी सरवानिया तह० जावद जिला नीमच म०प्र० ।

–वादी

बनाम

1. शंकर पिता नन्दा जी जाति धाकड निवासी सरवानिया तह० जावद जिला नीमच म०प्र० ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955</u>

प्रकरण आज वादी की और से अधिवक्ता श्री शम्भूलाल तेली की की उपस्थित में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 20.09.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया गया कि मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा की आराजी नं० 2216, 2273 2274, 2473,2470 में वादी का 3/4 तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 हक भूमि का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवारा किया जावें। वादी एवं प्रतिवादी का हक हिस्सा अलग–अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें। पंहुच मार्ग सुनिश्चित करे। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/494 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा **का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–**

1 श्री देवीलाल पुत्र लाभचन्द धाकड निवासी सरवानिया खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
2216	[illegible]	8.46
2273	[illegible]	गै0मु0चाह
2274	[illegible]	[illegible]
2473	[illegible]	11.40
2470/1	0.20	2.40
किता–5	2.81	31.38

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:20:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2 श्री शंकरलाल पुत्र नन्दा धाकड़ निवासी सरवानिया खातेदार

आराजी न	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
2470 / 2	0.94	11.28
किता–1	0.94	11.28

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

यह आज तारीख 08.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:20:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner